क्रम संख्या–106

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 अगस्त, 2004 ई0
श्रावण 14, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 212/विधायी एवं संसदीय कार्य/2004
देहरादून, 05 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 04–08–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08, सन् 2004)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन के लिए प्रतिस्थानी

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 का संशोधन

2\. उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 में अंक तथा शब्द "30 जून 2004 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "30 जून 2005 तक" रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3\. (1) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 (अध्यादेश संख्या 1, वर्ष 2004) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।

No. 212/Vidhayee and Sansadiya Karya/2004
Dated Dehradun, August 05, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Third Amendment) Bill, 2004 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 08 of 2004).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on August 04, 2004.

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITI (ALPKALIK VYAVASTHA) ADHINIYAM, 1972] ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002 (THIRD AMENDMENT) ACT, 2004

(UTTARANCHAL ACT No. 08 OF 2004)

Replacing Act further to amend the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 in its application to the State of Uttaranchal

AN
ACT

Promulgated by the Governor in the Fifty fifth year of the Republic of India, as follows:--

Short title, Commencement and Extent

1\. (1) This Act may be called the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Third Amendment) Act, 2004.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.

2. In Section 2 of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 for the words and figures, "till June 30, 2004" the words and figures, "till June 30, 2005" shall be substituted. — Amendment of Section 2 of the Principal Act

3. (1) The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Third Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed. — Repeal & Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were inforce at all material times.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 विधायी/327–2004–78+500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।